न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–440/2014/225 आर.टी.एक्ट (2014/00135)

1. श्रीमती बन्नीदेवी पुत्री श्री दल्ला
2. श्रीमती शांतिदेवी पुत्री श्री दल्ला
3. श्रीमती अन्नीदेवी पुत्री श्री दल्ला
4. श्रीमती छोटीदेवी पुत्री श्री दल्ला
5. श्रीमती गंगादेवी पुत्री श्री दल्ला
6. श्रीमती गंगादेवी पुत्री श्री दल्ला
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम बुबानी तहसील व जिला अजमेर जरिए मुख्त्यारआम सांवरा पुत्र जैतासिंह जाति रावत निवासी ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर।
7. श्री सांवरा पुत्र जेतासिंह जाति रावत निवासी ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मोहनलाल साबू पुत्र कन्हैयालाल साबू जाति माहेश्वरी मेनेजिंग डायरेक्टर सैबको एमरी स्टोन एण्ड इंजीनियरिंग इण्ड्रस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, मदार अजमेर।
2. भागू पुत्र लाडा
3. लक्ष्मण पुत्र लाडा
4. गांधी धर्मपत्नी लाडा
5. सुखदेव पुत्र हजारी
6. सोहन पुत्र हजारी
7. श्रीमती रमती पुत्री हजारी
8. श्रीमती भंवरी पुत्री हजारी (फौत नाम तर्क)
9. देवकरण पुत्र धर्मसिंह
   समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम बुबानी तहसील व जिला अजमेर।
10. लालसिंह पुत्र भूरा (मृतक) जरिए विधिक वारिसानः–
    10/1 मेघसिंह पुत्र स्व0 श्री लालसिंह
    10/2 हेमसिंह पुत्र स्व0 श्री लालसिंह (मृतक)
    10/2/1 श्रीमती तीजा धर्मपत्नि स्व0 हेमसिंह
    10/2/2 मक्खनसिंह पुत्र श्री हेमसिंह
    10/2/3 चन्दनसिंह पुत्र स्व0 हेमसिंह
    10/2/4 सुमेरसिंह पुत्र स्व0 हेमसिंह
    समस्त जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर
    10/2/5 श्रीमती संपत्ति पुत्री श्री हेमसिंह धर्मपत्नि श्री जितेन्द्रसिंह जाति रावत निवासी ग्राम परबतपुरा तहसील व जिला अजमेर।
    10/2/6 श्रीमती पिंकी पुत्री स्व0 हेमसिंह धर्मपत्नि श्री शैतानसिंह जाति रावत निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।
    10/3 हजारीसिंह पुत्र स्व0 लालसिंह
    10/4 बीरमसिंह पुत्र स्व0 लालसिंह (मृतक) जरिए विधिक वारिसानः–
    10/4/1 रितु रावत पुत्री स्व0 बीरमसिंह
    10/4/2 धमेन्द्र पुत्र स्व0 श्री बीरमसिंह
    10/5 लक्ष्मण पुत्र स्व0 लालसिंह (मृतक) जरिए विधिक वारिसानः–
    10/5/1 विजयसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह

10/5/2 रमेशसिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह
10/5/3 उमेशसिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह
10/5/4 राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह
10/5/5 विमला पुत्री लक्ष्मणसिंह
10/5/6 मंजू पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह
10/5/7 चम्पादेवी धर्मपत्नि स्व0 लक्ष्मणसिंह
समस्त जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर।

11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।
12. उप–पंजीयक, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 08.09.2014 न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर राजस्व वाद संख्या 87/2014

उपस्थितः–

1. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10/1, 10/2, 10/2/2, 10/3, 10/5/1 से 10/5/7
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7, 9, 10/2/1, 10/2/3 से 10/2/6, 10/3 से 10/4/2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–19.11.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2014 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0), अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया। अपीलांट्स के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब दावा मय जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.09.2014 जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2014 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7, 9, 10/2/1, 10/2/3 से 10/2/6, 10/3 से 10/4/2 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर के समक्ष झूठे कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया और न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर को वास्तविकता से अनभिज्ञ रखते हुऐ आदेश दिनांक 08.09.2014 पारित करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर को यह दर्शाया गया कि उसके द्वारा विवादित आराजीयात लाली बेवा दल्ला से खरीदी गई। जिसके आधार पर वह सम्पूर्ण आराजीयात का अकेला मालिक हो गया जबकि दल्ला पुत्र चतरा उपरोक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात् विरासती नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 खोला गया है, जिसमें मात्र लाली बेवा दल्ला का नाम दर्ज किया गया जबकि दल्ला पुत्र चतरा की छः पुत्रीयां यथा अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 6 जीवित है। जिनके द्वारा उपरोक्त नामान्तकरण को जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष जरिए अपील संख्या 2/2014 बउनवानी बन्नी देवी बनाम मोहनलाल साबू प्रस्तुत कर रखी है तथा अपीलान्ट के द्वारा ही एक नियमित राजस्व वाद संख्या 152/2013 भी अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिए अभिभाषक श्री रमेश आचार्य उपस्थित है। उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होने पर अपीलान्ट संख्या 1 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर को झूठे कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया और वास्तविकता नहीं दर्शायी गई। जिससे न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर द्वारा जो आदेश दिनांक 08.09.2014 पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा उपरोक्त बैनामे के आधार के अपीलान्ट को उनके हिस्से से महरूम करने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल में लायी गई है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध धारा 420 की कार्यवाही संस्थित की गई है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी होते हुऐ भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई और आदेश दिनांक 08.09.2014 पारित करवा लिया जो काबिल खारिज योग्य है। अपीलान्ट आज विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो कि जमाबन्दी से सिद्ध है तथा विधि द्वारा बनाये गये प्रावधानों के अनुसार एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी सूरत में स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं कराया जा सकता। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत समय–समय पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी पारित किया गया है। जिससे न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर का निर्णय दिनांक 08.09.2014 काबिल खारिज योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2014 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2014 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2014 आरआरटी(1) पेज 409 प्रस्तुत किया है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि ग्राम बूवानी स्थित भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 228 रकबा 12–00–00 की रेकाडेर्ड खातेदार श्रीमति लाली बेवा श्री दल्ला थी जिसने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.03.1996 द्वारा रकया 08–01–00 भूमि

तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.04.1998 से 02–04–10 भूमि प्रार्थी को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 31.05.1997 प्रार्थी के नाम तस्दीक होकर रकबा 08–01–00 का वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया एव खसरा नम्बर वर्किंग 236 रकबा 09–14–00 प्रतिवादीगण के पूर्वज रामा व लाडा एवं हजारी पुत्रान लाला व दल्ला वल्द चतरा की खातेदारी की थी, दल्ला के फौत होने पर विरासत लाली पत्नि दल्ला के नाम दर्ज हुई। तदउपरान्त सभी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 25.03.1996 को प्रार्थी को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 193 दिनांक 31.05.1997 को तस्दीक होकर वर्किंग जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम अमल दरामद कर दिया गया। तभी से प्रार्थी लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन बन्दोबस्त विभान ने आधारभूत जमाबन्दी में मात्र 02–04–10 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज कर वर्किंग खसरा नम्बर 228 के आधारभूत खसरा नम्बर 530 रकबा 0.56है0, 531 रकबा 0.28है0 व 512/3235 रकबा 0.10है0 तथा वर्किंग खसरा नम्बर 236 के सभी आधारभूत खसरा नम्बर 527 रकबा 0.44, 528 रकबा 0. 44 एवं 529 रकबा 0.69है0 विक्रेतागण एवं उनके वारिस यथा अपीलार्थीगण के नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दी। जिसकी आड में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने तथा आराजी को रहन बैचान, मुंतकिल करने पर सख्त आमादा है। जिन्हें जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेंट/प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.09.2014 को अंतरिम रूप से स्वीकार करते हुए उभयपक्षकारान को आगामी पेशी दिनांक 30.10.2014 तक पाबंद किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह पाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 08.09.2014 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेंट की एकपक्षीय बहस सुनते हुए प्रकरण में दिनांक 08. 09.2014 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई व उभयपक्षकारान को आगामी पेशी दिनांक 30.10.2014 तक पाबंद किया गया। प्रकरण में दिनांक 30.10.2014 को अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 13.11.2014 नियत की गई, परंतु उक्त अवधि में सहायक कलक्टर मु0 अजमेर का स्थानांतरण होने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। चूंकि प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थीगण

द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम रूप से निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्यनजर रखते हुए अपील पर बिना गुणावगुण टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलांट्स इसी स्तर पर निर्णित की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों मूल भूत बिंदुओ यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 87/2014 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2014 को प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक यथावत रखा जाता है। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.12.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर